



## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला - श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 221420,

मुख्यालय - बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 221420,

e-mail - csf.suratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi - 12

क्रमांक:सीएसएफ/एसओजी/5-3/साम0/21-

दिनांक

जून, 2021

### निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की ईकाई केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के (खण्ड-2 कालोनी, डिस्पेन्सरी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड- नं0-2 कैम्पस), खण्ड-3 कैम्पस एवं मुख्यालय कालोनी एवं एरिया आफिस की सफाई कार्य हेतु निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 28-6-21 को दिन के दो बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें रूपये 118-00 (रूपये 100-00 टेण्डर की कीमत एवं रूपये 18-00 जी0एस0टी0) जमा करवाकर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10-00 बजे से सांय 5-00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं व निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर निविदा सम्बन्धी सूचना देखी जा सकती है।

सहायक प्रबन्धक (मा0सं0)

## केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0)

### सफाई कार्य का ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्तें

- 1- सफाई कार्य एवं हौदी / कुई फार्म के ट्रैक्टर, टैंकर द्वारा खाली करना और लैट्रीन की पाईप चोक होने पर उनको खोलना इत्यादि करने के क्षेत्र निम्नांकित है :-  
केन्द्रीय कालोनी खण्ड-2, डिस्पेन्सरी, खण्ड-2 कैम्पस, वर्कशाप कैम्पस एवं मुख्यालय कालोनी एवं एरिया ऑफिस परिसर ।
- 2- इन क्षेत्रों में सफाई का कार्य करने हेतु निविदा प्रति माह की दर से दिनांक 28-6-2021 को सांय 2-00 बजे तक स्वीकार की जायेगी जो उसी दिन सांय 3-00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के साथ रूपये 2000-00 धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एन0एस0सी0 लिमिटेड, सूरतगढ़ को देय हो साथ में संलग्न होना चाहिए ।
- 3- सफाई कार्य हेतु व्यक्तियों का प्रबन्ध करने एवं समय पर काम करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उन व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों / केयरटेकर के निर्देशानुसार कार्य करना होगा । सफाई का कार्य प्रातः 8-00 बजे से प्रारम्भ करना होगा ।
- 4- सफाई कार्य हेतु कम से कम 05 (पाँच) (02 सफाई कर्मचारी खण्ड परिक्षेत्र एवं 03 केन्द्रीय कालोनी बाबत) खण्ड नं0-2 के परिक्षेत्र आफिस इत्यादि के सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मचारी लगाने होंगे जो प्रातः 8-00 बजे कार्य प्रारम्भ करेंगे । केयरटेकर द्वारा जिनकी रोजाना उपथिति लगाई जायेगी ।
- 5- ठेकेदार को सही प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति अपराधिक / झगडालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा होता है तो तुरन्त उस व्यक्ति को हटाना होगा एवं मारपीट जैसी हरकत के लिए सफाई ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।
- 6- सफल ठेकेदार को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता ( Agreement ) रूपये 500-00 (रूपये पाँच सौ के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसमें सफाई कार्य के ठेके के नियम एवं शर्तें अंकित रहेगी ।
- 7- असफल निविदादाताओं / बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 8- सफल ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में समायोजित कर ली जायेगी, जो कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 9- ठेकेदार को पिछले माह का बिल अगले माह में सम्बन्धित केयर टेकर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जिस पर सफाई ठेकेदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।
- 10- अगर सफाई ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं होता है तो उसके लिए उचित राशि उसके बिल से काटी जायेगी। अगर ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो सफाई कार्य का ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा उससे अगर फार्म को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसकी अमानत राशि एवं बकाया बिलों से की जायेगी ।

- 11- उक्त ठेके की अवधि, कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की होगी एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उक्त ठेके की अवधि को अधिकतम 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ।
- 12- अगर किसी प्रकार का वैधानिक कर (टैक्स) सम्बन्धित ठेकेदार के बिल पर लागू होता है तो उस पर उसकी कटौती सम्बन्धित ठेकेदार के बिल से की जायेगी ।
- 13- सफाई कार्य के लिए जो भी औजार, सामान इत्यादि प्रयोग में आता है वह ठेकेदार का होगा ।
- 14- सफाई कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।
- 15- टेण्डर के साथ पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।
- 16- कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं है ।
- 17- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगी । इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक मुद्दे को हल करने के लिए एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । पार्टियों कानून के न्यायालय में जाने से पहले वे मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।
- 18- ठेकेदार द्वारा लगाया सफाई कर्मचारी अलग से किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के घर पर व्यक्तिगत काम नहीं करेगा यदि सम्बन्धित कार्यालय द्वारा कोई सफाई कार्य या अन्य कार्य बताया जावे तो वो करना अनिवार्य होगा ।
- 19- बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीए हुए व्यक्तियों को सफाई कार्य हेतु केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के क्षेत्र में लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है ।
- 20- सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता है ।
- 21- किसी कारण से सफाई ठेकेदार के बिल के भुगतान में देरी होने पर भी सफाई ठेकेदार को कार्य करवाना होगा ।
- 22- सफाई ठेकेदार को उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों को भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है ।
- 23- सफाई ठेकेदार को हाउसकीपिंग / सफाई कार्य से सम्बन्धित कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है ।